

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 2: Definitions

In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017);
 - (b) “FORM” means a Form appended to these rules;
 - (c) “section” means a section of the Act;
 - (d) “Special Economic Zone” shall have the same meaning as assigned to it in clause (za) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);
 - (e) Words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
-

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 2 : परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;
 - (ग) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
 - (घ) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है;
 - (ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।
-